योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

आवश्यक सूचना

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या– 01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर चयनित एवं योजना एवं विकास विभाग के आवंटित किये जाने के क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्र संख्या 03/परी0 BTSC (अधि0) 01–23/2024–16 दिनांक 01.01.2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में योजना एवं विकास विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन (Certificate Verification/Counselling) **अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभा कक्ष, एनेक्सी भवन, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, पटना में दिनांक 22.01.2025 से 29.01.2025 तक** संपादित किया गया। जिसमें, कतिपय अभ्यर्थी अनुपस्थित पाये गये है।

एतद् द्वारा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहें अभ्यर्थियों के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए विभाग द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक दस्तावेज/प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्रवाई निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि एवं समय पर अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख लाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. पहचान हेतु आधार कार्ड (आधार कार्ड जारी नहीं होने की स्थिति में/निर्वाचन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र)।
2. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र दो प्रतियों में **(विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)**।
3. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
4. Diploma in Engineering का मूल प्रमाण।
5. Diploma in Engineering का सभी वर्षों/ Semester का मूल अंक पत्र।
6. **अनुभव प्रमाण पत्र, जो आयोग मे समर्पित किया गया है** (बिहार राज्य में अवस्थित किसी विभाग/संस्थान/उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए)।
7. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
8. अगर नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र /सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विरमन पत्र/सक्षम प्रधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र **(मूल प्रति में)**।
10. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए **(मूल प्रति में)**।
11. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **(मूल प्रति में)**।

12. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र **(मूल प्रति में)।**
13. चरित्र प्रमाण पत्र **(संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत एवं छः माह से पूर्व का नहीं हो)।**
14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए) **(मूल प्रति में)।**
15. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के (नाती/नतिनी/पोता/पोती) संबंधी प्रमाण पत्र) **(मूल प्रति में)।**
16. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र **(मूल प्रति में)।**
17. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। **(शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)।**
18. तिलक–दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी शपथ पत्र **(मूल प्रति में)।**
19. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यानुभव का दावा किया गया हो, उन अभ्यर्थियों किये गये कार्यानुभव की संपूर्ण अवधि का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन/मानेदय/पारिश्रमिक भुगतान प्रमाण पत्र।
20. नवीनतम पासापोर्ट साईज का 05 (पाँच) रंगीन फोटोग्राफ (फोटों के पीछे नाम, क्रम संख्या एवं Samekit Serial No. लिखना सुनिश्चित करें)।
21. बायोडाटा विहित प्रपत्र में।

उपरोक्त कंडिका–1 से 19 तक में अंकित प्रमाण पत्रों/सभी अभिलेखों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ दो सेट में **(छायाप्रति प्रतियाँ बिल्कुल स्पष्ट अंकित हो, धुंधली/अस्पष्ट प्रतियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी)** :–

नोट :– 1. अगर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) के विरूद्ध विधिसम्मत निर्णय लिया जा सकता है।

2. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी का किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता देय नही होगा।
3. किसी प्रकार के टंकण त्रुटि होने पर उसमे सुधार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।
4. प्रमाण पत्रों के सत्यापन से सबंधित सत्यापन प्रपत्र एवं शपथ पत्र से संबंधित विहित प्रपत्र तथा संबंधित निदेश विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/planning/CitizenHome.html से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा योजना एवं विकास विभाग हेतु चयनित अभ्यर्थियों के क्रम संख्या के अनुसार निर्धारित तिथि को वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना है।

दिनांक 22.01.2025 से 29.01.2025 तक अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होना है।		
दिनांक (समय 10.00 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 06.00 तक)	क्र0 सं0	अभ्युक्ति
07.02.2025	01 से 1273	25, 57, 64, 94, 106, 111, 115, 120, 131, 142, 189, 194 एवं 199 को छोड़कर
		222, 230, 232, 245, 279, 288, 293, 307, 344, 351, 364, 390 एवं 400 को छोड़कर
		421, 453, 462, 465, 482, 486, 496, 498, 499, 522, 523,538, 551,552, 554, 563, 566 567, 571, 574 एवं 589 को छोड़कर
		636, 714, 729 एवं 737 को छोड़कर
		919 को छोड़कर
		1012 एवं 1194 को छोड़कर
		1245 को छोड़कर
नोट :– बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक) के अंतर्गत सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त/अस्पष्ट/**Distance** एवं **Regular mode** अस्पष्ट रहने के कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित क्रम संख्या के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जायेगा।		

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि पूर्व प्रकाशित विभागीय ज्ञापांक–144 दिनांक 09.01.2025 एवं शुद्धि पत्र पत्रांक–178 दिनांक 10.01.2025 में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होगें।

ह0/–
(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01- 01/2025 /यो0वि0,पटना,दिनांक जनवरी, 2025

प्रतिलिपि: सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01- 01/2025 607 /यो0वि0,पटना,दिनांक 30 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि: श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त सूचना का प्रकाशन नोटिस एवं बुलेटिन के रूप में आज से दिनांक 07.02.2025 तक आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाय।

सरकार के अपर सचिव